

25.03.2022

पत्रावली लोक अदालत की बेंच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से निर्णित होने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

